अज अदालत– जिला कलक्टर मुकाम अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 63/2025

राजस्थान सरकार जरिये अनिल कुमार, उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पो.स.)
.....**प्रार्थी**

बनाम

श्री महावीर प्रसाद ओझा पुत्र सोहन लाल ओझा निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला कुचील तहसील किशनगढ जिला अजमेर

.....**अप्रार्थी**

उपस्थित :–

श्री अनिल कुमार उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी प्रार्थी
श्री महावीर प्रसाद ओझा अप्रार्थी

उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 28 (1) डी एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के नियमों का उल्लंघन करने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत

आदेश

दिनांक– 12.11.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 26.06.2025 को ग्राम पंचायत कुचील तहसील किशनगढ जिला अजमेर से उर्वरक के अवैध भण्डारण एवं विक्रय सम्बन्धी शिकायत कि जांच करने हेतु श्रीमति अनुप्रिया यादव सहायक निदेशक कृषि (वि) अजमेर, श्री शिवलाल यादव सहायक निदेशक उद्यान, अजमेर, सुश्री अदिति माथुर कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) अजमेर, श्री जगदीश धायल सहायक कृषि अधिकारी श्री निम्बार्कतीर्थ, श्रीमती दीपा कुमावत कृषि पर्यवेक्षक कुचील, अजमेर के साथ सांय लगभग 6.05 बजे श्री महावीर प्रसाद औझा पुत्र श्री सोहन लाल ओझा निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला कुचील तहसील किशनगढ जिला अजमेर की भण्डार/विक्रय परिसर पर पहुंचा जो कि मुख्य बाजार कुचील में स्थित है। श्री महावीर प्रसाद औझा अपनी उक्त भण्डार/विक्रय परिसर पर उपस्थित नहीं थे। इनके मोबाइल नम्बर लेकर दुरभाष पर वार्ताकर इन्हें अपनी भण्डार/विक्रय परिसर पर बुलाया गया। यह लगभग सांय 6.30 बजे मौके पर पहुँचे। इनके समक्ष उक्त भण्डार/विक्रय परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उर्वरक (नीम कोटैड यूरिया) के 52 बेग भण्डारित पाये गये इसके विषय में श्री महावीर प्रसाद औझा से क्रय–विक्रय बिल, अनुज्ञा पत्र, स्टॉक रजिस्टर एवं उर्वरक भण्डारण/विक्रय से सम्बन्धित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इनके द्वारा कोई भी दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया। श्री महावीर प्रसाद औझा द्वारा बिना वैध अनुज्ञा पत्र से उक्त उर्वरक का कारोबार भण्डार/विक्रय उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के स्पेसिफिकेशन के अनुसार स्टॉक व मूल्य सूची का अंकन नहीं कर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के क्लॉज 7,8,19 एवं 35 का उल्लंघन किया गया है। श्री महावीर प्रसाद औझा द्वारा उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 कि क्लॉज 28(1) डी के तहत इनके भण्डार/विक्रय परिसर में

जिला कलक्टर
अजमेर

भण्डारित उक्त उर्वरक को जप्त किया गया। बिना वैद्य अनुज्ञा पत्र एवं बिना स्टॉक व मूल्यसूची प्रदर्शित/अंकन किये उर्वरक का भण्डार/विक्रय करने पर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 कि क्लॉज 7,8,19 एवं 35 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कि श्रेणी में आता है। यदि उक्त जप्तशुदा उर्वरक (नीम कोटेड यूरिया) ग्राम सेवा सहकारी समिति बबायचा के भण्डार/विक्रय परिसर के कब्जे में काफी समय तक रहता है तो उर्वरक खराब/गुणवता कम होने कि सम्भावना होगी अतः उक्त जप्तशुदा उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आये। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 26.06.2025 को ग्राम पंचायत कुचील तहसील किशनगढ जिला अजमेर से उर्वरक के अवैध भण्डारण एवं विक्रय सम्बन्धी शिकायत कि जांच करने हेतु श्रीमति अनुप्रिया यादव सहायक निदेशक कृषि (वि) अजमेर, श्री शिवलाल यादव सहायक निदेशक उद्यान, अजमेर, सुश्री अदिति माथुर कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) अजमेर, श्री जगदीश धायल सहायक कृषि अधिकारी श्री निम्बार्कतीर्थ, श्रीमती दीपा कुमावत कृषि पर्यवेक्षक कुचील, अजमेर के साथ सांय लगभग 6.05 बजे श्री महावीर प्रसाद औझा पुत्र श्री सोहन लाल ओझा निवासी ब्रहमपुरी मोहल्ला कुचील तहसील किशनगढ जिला अजमेर की भण्डार/विक्रय परिसर पर पहुंचा जो कि मुख्य बाजार कुचील में स्थित है। श्री महावीर प्रसाद औझा अपनी उक्त भण्डार/विक्रय परिसर पर उपस्थित नहीं थे। इनके मोबाइल नम्बर लेकर दुरभाष पर वार्ताकर इन्हें अपनी भण्डार/विक्रय परिसर पर बुलाया गया। यह लगभग सांय 6.30 बजे मौके पर पहुँचे। इनके समक्ष उक्त भण्डार/विक्रय परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उर्वरक (नीम कोटैड यूरिया) के 52 बेग भण्डारित पाये गये इसके विषय में श्री महावीर प्रसाद औझा से क्रय-विक्रय बिल, अनुज्ञा पत्र, स्टॉक रजिस्टर एवं उर्वरक भण्डारण/विक्रय से सम्बन्धित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इनके द्वारा कोई भी दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया। श्री महावीर प्रसाद औझा द्वारा बिना वैध अनुज्ञा पत्र से उक्त उर्वरक का कारोबार भण्डार/विक्रय उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के स्पेसिफिकेशन के अनुसार स्टॉक व मूल्य सूची का अंकन नही कर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के क्लॉज 7,8,19 एवं 35 का उल्लघंन किया गया है। श्री महावीर प्रसाद औझा द्वारा उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 कि क्लॉज 28(1) डी के तहत इनके भण्डार/विक्रय परिसर में भण्डारित उक्त उर्वरक को जप्त किया गया। जब्त उर्वरक को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु श्री महावीर प्रसाद औझा का उक्त जब्त उर्वरक सुपुर्द कर खुर्द-बुर्द नहीं करने कि हिदायत देते हुए शपथ पत्र लिया गया। उर्वरक (नीम कोटेड यूरिया) कि गुणवत्ता परीक्षण के लिए श्री महावीर प्रसाद औझा के भण्डार/विक्रय परिसर में उपलब्ध उर्वरक स्टॉक में से दिनांक 26.06.2025 को उर्वरक नमूना आहरित किये गये तथा

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

इसके अधिसूचित राजकीय गुण नियंत्रण प्रयोगशाला अजमेर को विश्लेषण हेतु भेजा गया। श्री महावीर प्रसाद औझा द्वारा दिनांक 27.06.2025 को एक पत्र देकर उक्त जप्त उर्वरक सुपुर्दगी का स्थान परिवर्तन कराने बाबत अनुरोध किया गया जिसके उपरान्त इनके परिसर में जप्त उर्वरक को इनके समक्ष इनके परिसर से हटाकर ग्राम सेवा सहकारी समिति बबायचा तहसील किशनगढ जिला अजमेर के व्यवस्थापक श्री प्रकाश सेन से दूरभाष पर वार्ता अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति बबायचा के भण्डार/विक्रय परिसर में रखवाकर सहायक हिरालाल पुत्र श्री कामड जाति मेघवाल की अभिरक्षा में सुपुर्द कर खुर्द-बुर्द नहीं करने कि हिदायत देते हुए शपथ पत्र लिया गया। उर्वरक नियत्रण आदेश 1985 कि विभिन्न धाराओं का उल्लघंन करने के कारण श्री महावीर प्रसाद औझा पुत्र श्री सोहन लाल औझा निवासी ब्रहमपुरी मोहल्ला कुचील तहसील किशनगढ जिला अजमेर के विरूद्ध गांधीनगर किशनगढ अजमेर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। राजकीय गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट द्वारा उक्त उर्वरक नमूना मानक पाया गया। बिना वैध अनुज्ञा पत्र एवं बिना स्टॉक व मूल्यसूची प्रदर्शित/अंकन किये उर्वरक का भण्डार/विक्रय करने पर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 19825 कि क्लॉज 7, 8, 19 एवं 35 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कि श्रेणी में आता है। यदि उक्त जप्तशुदा उर्वरक (नीम कोटेड यूरिया) ग्राम सेवा सहकारी समिति बबायचा के भण्डार/विक्रय परिसर के कब्जे में काफी समय तक रहता है तो उर्वरक खराब/गुणवता कम होने कि सम्भावना होगी अतः उक्त जप्तशुदा उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने हेतु आदेश फरमावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि कमरे में यूरिया खाद रखा था जिसके बिल जमाबंदी विभाग को दी जा चुकी है। उस यूरिया खाद की मानक जांच भी की जा चुकी है सही पाई गई है। अतः यूरिया खाद को रिलीज करवावें ।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 26.06.2025 को ग्राम पंचायत कुचील तहसील किशनगढ जिला अजमेर से उर्वरक के अवैध भण्डारण एवं विक्रय सम्बन्धी शिकायत कि जांच करने हेतु सांय लगभग 6.05 बजे श्री महावीर प्रसाद औझा पुत्र श्री सोहन लाल ओझा निवासी ब्रहमपुरी मोहल्ला कुचील तहसील किशनगढ जिला अजमेर की भण्डार/विक्रय परिसर पर पहुंचा जो कि मुख्य बाजार कुचील में स्थित है। श्री महावीर प्रसाद औझा अपनी उक्त भण्डार/विक्रय परिसर पर उपस्थित नहीं थे। इनके मोबाइल नम्बर लेकर दुरभाष पर वार्ताकर इन्हें अपनी भण्डार/विक्रय परिसर पर बुलाया गया। यह लगभग सांय 6.30 बजे मौके पर पहुॅचे। इनके समक्ष उक्त भण्डार/विक्रय परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उर्वरक (नीम कोटैड यूरिया) के 52 बेग भण्डारित पाये गये इसके विषय में श्री महावीर प्रसाद औझा से क्रय-विक्रय बिल, अनुज्ञा पत्र, स्टॉक रजिस्टर एवं उर्वरक भण्डारण/विक्रय से सम्बन्धित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इनके द्वारा कोई भी दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया। श्री महावीर प्रसाद औझा द्वारा बिना वैध अनुज्ञा पत्र से उक्त उर्वरक का कारोबार भण्डार/विक्रय उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के स्पेसिफिकेशन के अनुसार

स्टॉक व मुल्य सूची का अंकन नही कर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के क्लॉज 7,8,19 एवं 35 का उल्लंघन किया गया है। श्री महावीर प्रसाद औझा द्वारा उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 कि क्लॉज 28(1) डी के तहत इनके भण्डार/विक्रय परिसर में भण्डारित उक्त उर्वरक को जप्त किया गया। उर्वरक नियत्रण आदेश 1985 कि विभिन्न धाराओं का उल्लघंन करने के कारण श्री महावीर प्रसाद औझा पुत्र श्री सोहन लाल औझा निवासी ब्रहमपुरी मोहल्ला कुचील तहसील किशनगढ जिला अजमेर के विरूद्व गांधीनगर किशनगढ अजमेर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अप्रार्थी द्वारा बिना वैध अनुज्ञा पत्र एवं बिना स्टॉक व मूल्यसूची प्रदर्शित/अंकन किये उर्वरक का भण्डार/विक्रय करने पर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 कि क्लॉज 7, 8, 19 एवं 35 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कि श्रेणी में आता है। अतः उक्त जप्त शुदा उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत लिहाजा जब्तशुदा उर्वरक (नीम कोटेड यूरिया) के 52 बैग को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने के आदेश दिया जाता है। सहायक निदेशक कृषि (वि.) अजमेर जिला अजमेर उक्त यूरिया उर्वरक का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करावें। आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 12.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर